न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/197/2023	2023/645	25.08.2023	11.06.2024

1. मन्दिर मूर्ति श्री हनुमानजी महाराज पिनच वाले विराजमान गांव रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर नाबालिग जरिये वाद मित्र।

अ. प्रताप सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति सैनी

ब. सलेन्द्र कुमार पुत्र हरिराम जाति सैनी

स. ओमप्रकाश पुत्र बिहारीलाल जाति सैनी

द. हेमन्त कुमार पुत्र श्योसिंह जाति सैनी निवासीयान रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द
2. विजेन्द्र पुत्र मूलचन्द
3. रविन्द्र पुत्र मूलचन्द
4. ववीता रानी पुत्री मूलचन्द
5. रेखारानी पुत्री मूलचन्द
6. अशोक कुमार दत्तक पुत्र कैलाश चंद
7. वंता शर्मा पत्नी दिनेश कुमार
8. सुरेश पुत्र कन्हैया
9. दिनेश पुत्र कन्हैया
10. भगवती देवी पुत्री राधेश्याम
11. रोशन पुत्र मुरली
12. मनु कुमार पुत्र घनश्याम दत्त जातियान ब्राहमण निवासीयान गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।
13. तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।
14. सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र मुंतकिल

उपस्थितः—

01—श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील प्रार्थी

02—श्री अजमूद्दीन खान —वकील अप्रार्थी सं0 12

—ःनिर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के प्रकरण उनवान मन्दिर मूर्ति श्री हनुमानजी महाराज बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पत्रावली को मुंतकिल

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

किये जाने हेतु पूर्व में मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया था जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रकरण को मुंतकिल कर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी जिनके विरूद्ध स्थानांतरण प्रा0पत्र पेश किया गया था, का स्थानांतरण हो चुका है तथा अब नये अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। उक्त वाद ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ की बाबत है जिसका न्यायक्षेत्र उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ के अंतर्गत आता है प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां निवेदन किया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ क्षेत्र का है इसलिए उक्त पत्रावली को वहां मुंतकिल कर दिया जावे तो पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि पत्रावली मुंतकिल हेतु माननीय न्यायालय में कार्यवाही कर आदेश प्राप्त करें तब ही पत्रावली गोविन्दगढ़ भेजी जा सकेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण उनवान मन्दिर मूर्ति श्री हनुमानजी महाराज बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ में मुंतकिल फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 12 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त विचाराधीन वाद को पूर्व में भी जरिये मुंतकिल प्रा0पत्र पेश कर प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मुंतकिल कराया गया था। अब पुनः भी प्रार्थीगण द्वारा ही उक्त वाद को वापस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ में मुंतकिल कराना चाहते है। उनके द्वारा बार–बार मुंतकिल प्रा0पत्र पेश कर उक्त वाद को मुंतकिल कराया जा रहा है। प्रार्थीगण का उक्त कृत्य विधि अनुसार नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि उक्त वाद पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ के यहां से मुंतकिल होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 23.01.2024 नियत है। उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ के क्षेत्राधिकार है। यदि फिर भी प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुंतकिल के आदेश फरमाये तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथमदृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थिया का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
राजस्थान